::निर्णय::

{आज दिनाँक 15/12/21 को घोषित}

01/– आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 व धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप है जो कि उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया गया है। अतः मैं आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाती हूँ।

02/– प्रकरण का अवलोकन किया गया।

03/– अभिलेख पर आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी को यदि लंबी अवधि के कारावास से दण्डित किया गया तो आदतन अपराधियों के साथ उसका भविष्य खराब होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आरोपी को लंबी अवधि के कारावास से दण्डित किया जाना उचित नहीं है।

04/– अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 में दोषसिद्ध पाते हुए 1000/– रूपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 में दोषसिद्ध पाते हुए 500/– रूपये के अर्थदण्ड (अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में 20 दिवस का साधारण कारावास) न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 2000/– अर्थदण्ड (अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में एक माह ~~दिवस~~ का साधारण कारावास) व न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

05/– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। यदि वाहन सुपुर्दगी पर हो तो सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपीन न होने पर भारमुक्त समझा जावे।

06/– प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज किया जाकर प्रकरण पंजी से कम कर विधिवत अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, घोषित किया गया।

15.12.21
(सौम्या विजयवर्गीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया

15.12.21
(सौम्या विजयवर्गीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)